न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 11 / 20 सन् 2020

RCMS NO-2020/ 00090

बउनवानीः—1. लाडबाई पुत्री रामफूल पत्नि सुखपाल मीना निवासी खाटकलां तहसील सवाईमाधोपुर हाल दिवाडा

2. कैलाशी पुत्री रामफूल पत्नि ख्यालीराम मीना नि खाटकलां तह0 सवाईमाधोपुर हाल मलारना चौड

3. मनभर पुत्री रामफूल पत्नि राजेन्द्र मीना निवासी खाटकलां तह0 सवाईमाधोपुर हाल मलारना चौड

बनाम

1. हनुमान पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी खाटकलां तहसील सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 414 दिनांक 10.01.1983 वाके ग्राम खाटकलां तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः—1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्टगण

2.श्री श्याम सुन्दर शर्मा वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 30.4.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 414 दिनांक 10.01.1983 वाके ग्राम खांटकलां तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक रामफूल पुत्र गोरया के समस्त विधिक वारिसानों की जॉच नही की गयी एवं आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्टगणों को सुनवायी का अवसर नही दिया गया ओर पटवारी हल्का ने गांव में आकर वारिसानों की जॉच नही कर पक्षीय कार्यवाही की गयी है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त नामा0 को राजस्व अभियान मे सारी कार्यवाही एक ही दिन मे करते हुए तस्दीक किया है। विवादित नामा0 को पटवारी द्वारा दिनांक 07.01.1983 को भरा गया दर्ज नही है। भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.01.1983 को तुलना की गयी एवं उसी दिनांक को नामा0 स्वीकृत किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व रेस्पो0 के सजरा खानदान को भी नजर अंदाज किया है। सजरा खानदान के अनुसार मृतक रामफूल के विधिक वारिसान अपीलान्टगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 है किन्तु विवादित नामा0 केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 1 के नाम भरा गया है जबकि अपीलान्टगण भी जन्म से ही पिता के नाम की पैतृक सम्पत्ति मे समान रूप से अधिकार है किन्तु आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट को उनके विधिक अधिकार से वंचित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.7.2020 को न्यायालय आने पर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा पैतृक भूमि को बेचने की जानकारी गांव में प्राप्त होने पर दिनांक 27.7.2020 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 29.7.2020 को प्राप्त होने पर जानकारी अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अतः अपील अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:05 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर पेश की गयी है क्योकि 40 वर्ष बाद अपील पेश करने का कोई विधिसम्मत कारण नही बताया गया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील से संबंधित आराजीयात अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होने से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की विरासत मे पुत्रियों का कोई कानूनी विधिक अधिकार नही होने से आदेश जैर अपील अपीलान्ट के बजाय रेस्पो0 हनुमान के नाम तस्दीक किया गया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। कथन के समर्थन में आरआरटी 2014(2) पेज संख्या 901–903 तथा आरआरटी,2021(1) पेज संख्या 705–708 पेश किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट संख्या 2, 3 कमशःकैलाशी व मनभर द्वारा उक्त अपील मे कोई कार्यवाही नही चाहने एवं उनके भाई रेस्पो0 हनुमान के पक्ष मे खोला गया नामा0 आदेश जैर अपील को यथावत रखने बाबत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि प्रथम तो आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 414 दिनांक 10.01.1983 को लगभग 40 वर्ष बाद न्यायालय मे चुनौती दिये जाने का यह कारण रेस्पो0 हनुमान द्वारा आदेश जैर अपील से संबंधित आराजीयात को बैचान करने की जानकारी अपीलाण्टगण को प्राप्त होना बताया है जो विधि सम्मत नही है। इसके अतिरिक्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का उल्लंघन होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे कोई कानूनी दृष्टान्त भी वकील अपीलाान्ट द्वारा पेश नही किया है। इसके विपरीत वकील रेस्पो0 द्वारा पेश किये गये कानूनी दृष्टान्त आरआरटी 2014(2) पेज संख्या 901–903 तथा आरआरटी,2021(1) पेज संख्या 705–708 मे वर्णित प्रावधान इस प्रकरण पर चस्पा होते है। आदेश जैर अपील तहसीलदार द्वारा अभियान के दौराने नियमो मे छूट के तहत दर्ज फैसल किया गया है। अतः विधिसम्मत पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 414 दिनांक 10.01.1983 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner